भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1348

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता नीति

1348. श्री टी.एन. प्रथापन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता नीति की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विद्यालयों में सैनिटरी पैड और मासिक धर्म संबंधी अन्य स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) देश में सुभेध शहरी आबादी और औपचारिक/अनौपचारिक कार्यस्थलों पर मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता संबंधी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) ग्रामीण किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता संबंधी व्यवहारों में राज्यों के बीच असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में जेल में बंद महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर को पाटने और उसे प्रभावित करने के लिए उपाय किए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी हितधारकों के परामर्श से मासिक धर्म स्वच्छता नीति (एमएचपी) का प्रारूप तैयार किया है। एमएचपी के प्रारूप में संपूर्ण मासिक धर्म यात्रा के दौरान व्यापक सहायता की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रथम मासिक धर्म से लेकर रजोनिवृत्ति तक महिलाओं की विशिष्ट

आवश्यकताओं को पहचानना, अल्पसेवित और कमजोर आबादी को प्राथमिकता देने पर विशेष ध्यान देना, मासिक धर्म स्वच्छता संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है। यह नीति जागरूकता बढ़ाने, तथाकथित सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने अभिकल्पना करती है जो मासिक धर्म स्वच्छता को जीवन के प्राकृतिक और सामान्य हिस्से के रूप में अपनाती है। इसका उद्देश्य मासिक धर्म वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, आरोग्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन योजना' कार्यान्वित करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां संस्वीकृत की जाती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, किशोरियों को उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन की सुलभता और उपयोग को बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है।

आशा कर्मी इस योजना को संवर्धित करती हैं और 6 नैपकिन के पैक के लिए 6/- रुपये की रियायती दर पर सैनिटरी नैपकिन पैक वितरित करती हैं और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सहित विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने क्षेत्र की किशोरियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करती हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सरकार ने मासिक धर्म स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किफ़ायती कीमतों पर महिलाओं के लिए 1 रुपये प्रति पैड पर जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन की सुविधा शुरू की है।

*****